कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 2269 /2ई0व0भू0, दिनांक 3-10-16

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पाण्डेखरक–जिजोली (राजकीय पॉलीटेक्निक हेतु) मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव संख्या– 16300/2015)

सन्दर्भ :– **Online Objection Dated 22.08.2016**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का उत्तर निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Please enclose all necessary documents regarding all point resolved by you.	आप द्वारा दिनांक 18.06.2016 एवं दिनांक 22.08.2016 को लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर संलग्न किया जा रहा है।

अतः तद्नुसार सूचना अपने स्तर से भी Upload कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
बागेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर

Phone/Fax.No:- 05963-220006 Email ID:-pdpwdbgr@yahoo.in

पत्रांक 1602 / 25-09/16 दिनांक 22/07/2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः— **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पाण्डेखड़क–जिजोली राजकीय पोलिटेक्निक हेतु मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.957 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ— आपका 3873/1जी0–FP/UK/Road/16300/2015 दिनांक 16.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के पत्रांक सं0 408/X-4-16/1(116)/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा वॉछित अतिरिक्त सूचना बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित की जा रही है—

1— ग्राम पंचायत दर्शानी/खडेरिया तहसील गरूड़, जिला–बागेश्वर के अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर किन्ही कारणों से छूट गये थे। वर्तमान में करा दिये गये हैं एवं प्रस्ताव में संलग्न कर दिया है।

2— मार्ग के संरेखण में बॉज वृक्ष प्रभावित होने की दशा में भारत सरकार के निर्देशानुसार वन संरक्षक के निरीक्षण की आवश्यकता का प्राविधान है जब प्रस्ताव ऑफ लाइन भेजे जाते थे तब प्रस्ताव विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताव में वन संरक्षक के हस्ताक्षर करवाये जाते थे। अब चूँकि प्रस्ताव जिला स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर उपरान्त ऑन लाइन किये जा रहे हैं, इस स्थिति में बॉज वृक्ष के पातन का प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण उपरान्त अपनी संस्तुति सहित ऑन लाइन कर दिया जाता हैं। अतः वन संरक्षक द्वारा प्रेषित ऑन लाइन प्रपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

3— विषयगत प्रस्ताव की प्रमाणित हार्ड कापी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव पर शीघ्र ही सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न— प्रस्ताव की हार्ड कापी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 22/7

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 विभाग,
बागेश्वर।

पत्रांक / /तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1— प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 विभाग,
बागेश्वर।

29/7/16

सम्प्रेषक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इन्दरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/16300/2015 :देहरादून:दिनांक:02 अगस्त, 2016

सेवा में,

श्री अखिलेश मिश्रा,
अनुसचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

पंजी. नं. 25 वि. ब्रि
डायरी नं. 2209
दिनांक 11-8-16

विषयः–जनपद–बागेश्वर पांडेखरक–जिजोली (राजकीय पालीटैक्निक हेतु) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.957 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–शासन की पत्र संख्या 408/X–4–16/1(116)/2016 दिनांक 10–06–2016

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा कतिपय सूचना चाही गई है। उत्तराखण्ड शासन के उक्त पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1602/2ई व0भू0 दिनांक 22–07–2016 के द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 451 /FP/UK/ROAD/16300/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी